न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– जितेन्द्र कुमार पाण्डे आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 12/2018

तारीख दायरा–29.05.2018

तारीख निर्णय–29.05.2019

1. श्री वेणीराम पिता श्री केसा मेघवाल निवासी राणा तहसील गोगुन्दा।

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री नारू पिता श्री लोगरिया मेघवाल निवासी राणा तहसील गोगुन्दा।
2. श्री वरदा पिता श्री लोगरिया मेघवाल निवासी राणा तहसील गोगुन्दा।
3. श्री पना पिता लोगरिया मेघवाल निवासी राणा तहसील गोगुन्दा।
4. श्रीमती भुरकी बेवा श्री लोगरिया मेघवाल निवासी राणा तहसील गोगुन्दा।
5. श्री हकमा उर्फ हुकमीचन्द पिता श्री कुशाल मेघवाल निवासी राणा तहसील गोगुन्दा।
6. श्री भगा पिता श्री वरदा मेघवाल निवासी राणा तहसील गोगुन्दा।
7. श्रीमती नानीबाई पत्नी श्री चुन्नीलाल मेघवाल निवासी राणा तहसील गोगुन्दा।
8. श्री मुरलीधर पिता श्री डालचन्द मेघवाल निवासी राणा तहसील गोगुन्दा।
9. श्री भाना पिता श्री गमाना मेघवाल निवासी राणा तहसील गोगुन्दा।
10. भूमिधारी जरिये तहसीलदार गोगुन्दा।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर. एक्ट

उपस्थित– प्रार्थी की ओर से– श्री चेतन वैष्णव

अप्रार्थी की ओर से– एक तरफा

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेदारी की आराजी नम्बर 1055 रकबा 0.3000 है0 भूमि ग्राम राणा पटवार हल्का काछबा तहसील गोगुन्दा में स्थित है, जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त आराजी के पास विपक्षीगण के खातेदारी की आराजी नम्बर 1042 रकबा 0.2000, 1043 रकबा 0.1600, 1050 रकबा 0.1400, 1066 रकबा 0.0300, 1053 रकबा 0.0850, 1054 रकबा 0.0600, 1056 रकबा 0.0950, 1057 रकबा 0.0400, 1058 रकबा 0.1000, 1035 रकबा 0.1550 है0 भूमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन प्रार्थी को परेशान करते है तथा भूमि में जबरन प्रवेश कर दखलंदाजी करते है एवं घास लकडी इत्यादि ले जाते है। प्रार्थी व विपक्षीगण की भूमि आस पास होने से आये दिन पाली डोली को लेकर सीमांकन बाबत् विवाद होता रहता है। विपक्षीगण आये दिन प्रार्थी के साथ लडाई झगडा करते रहते है। इसलिये प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढी करवाना नितान्त आवश्यक हो गया है। अतः निवेदन किया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार

उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, जिला उदयपुर

रमाया जाकर प्रार्थी के खातेदारी की आराजी नम्बर 1055 का सीमांकन करवाया जाकर मौके पर पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किये गये। विपक्षीगण द्वारा प्रकरण में ईकबालिया जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र माफिक प्रार्थना स्वीकार किया जाता है, तो हमें कोई आपत्ती नही है। तत्पश्चात प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में वही कथन कहे है, जो अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किये है।

हमनें विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एक तरफा बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजरी के प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी के खातेदारी भूमि के पास में विपक्षीगण की जमीन स्थित होने से आये दिन सीमा का विवाद होता रहता है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहता है। विपक्षीगण को भी पत्थरगढी करवाये जाने में कोई आपत्ती नही है। अतः प्रार्थी के खातेदारी भूमि की पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. का स्वीकार किया जाता है एवं मौजा राणा पटवार क्षेत्र काछबा तहसील गोगुन्दा में प्रार्थी के खातेदारी की आराजी संख्या आराजी संख्या 1055 रकबा 0.3000 हैक्टयर भूमि का दोनो पक्षकारानों की उपस्थिति में पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार गोगुन्दा कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। क़मिश्नर फीस 500/– रूपये प्रार्थी पक्ष अदा करेगा। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा–उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Pandey
Date: 2019.07.11 16:08:28 IST
Reason: SelfAttested
Location: